न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 35/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/104

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
दुर्गाराम पुत्र मदरूपाराम जाति जाट निवासी भाम्भुओ की ढाणी,गंगानाड़ा,चोसिरा पाटियाल, रूपजी राजावेरी कालेवा पचपदरा नगर बाड़मेर		1.श्रीमति हीरो पत्नि पुराराम वास्तविक वर्तमान पत्नि सोनाराम जाति जाट, निवासी काश्मीर तहसील शिव जिला बाड़मेर 2.मगाराम पुत्र खरताराम 3.खेताराम पुत्र खरताराम 4.जमना पत्नि चेना 5.बाबुराम पुत्र मंगला जाति जाट निवासी पाटियाल चोसिरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादी
2.प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक 29/09/25

1. संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पाटियाल चोसिरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 15,18,19,20,32 व 33 कुल रकबा 122.16 बीघा भूमि अवस्थित थी,जो वक्त सेटलमेट मदरूपा व खरता पिसरान कना के नाम खातेदारी दर्ज हुई थी,जिसमे 1/2 हिस्सा मदरूपा व 1/2 हिस्सा खरता का था तथा हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। मदरूपा के पांच पुत्रः—चैना,पूरा,लूम्बा,अचला व दुर्गा एवं दो पुत्रिया पूरोदेवी व गवरीदेवी थी। मदरूपा के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण पांत्र पुत्रो के नाम दायर किया गया। चैना के फौत पर उसकी वारिसान प्रतिवादी संख्या 04 का नाम दायर हुआ। पूरा के फौत होने पर उसकी पत्नि हीरो प्रतिवादी संख्या 01 का नाम दायर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हुआ,जबकि हीरो की कोई जायंदा संतान नही होने के कारण उसने दुसरी शादी सोनाराम के नाम कर दी गई थी,लेकिन वादग्रस्त भूमि मे उसकी खातेदारी प्रविष्टि यथावत चली आ रही है। लूम्बा व अचला की कोई जायंदा संतान नही होने के कारण ला–औलाद फौत हो गए थे। चैना व पूरा जो लूम्बा व अचला से पूर्व ही फौत हो गए थे। लूम्बा व अचला के प्रथम श्रेणी के वारिसान नही होने के कारण द्वितिय श्रेणी वारिसान मे वादी ही एकमात्र वारिस था,तथा लूम्बा व अचला की हिस्सा भूमि वादी को ही प्राप्त होनी चाहिए था,लेकिन फौतदगी नामान्तकरण भरते समय खातेदारान के हिस्सो नही खुले गए थे,तथा इनकी संयुक्त खातेदारी भूमि रेकर्ड मे दर्ज थी। तत्पश्चात सेग्रीगेशन के दौराने रेकर्ड मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का बहिस्सा बराबर करते हुए रेकर्ड मे अशुद्व हिस्सा 1/6,1/6 अंकित किया गया,जबकि वादी का 3/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का 1/10,1/10 हिस्सा रेकर्ड मे दर्ज किया जाना चाहिए था,लेकिन रेकर्ड मे अशुद्व हिस्सा प्रविष्टिया इन्द्राज होने के कारण वादी को क्षति हो रही है। अतं वादी का वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का वर्तमान रेकर्ड मे अशुद्व हिस्सा 1/6,1/6 के स्थान पर 1/10,1/10 हिस्सा व वादी का 1/6 हिस्सा के स्थान पर 3/10 हिस्सा का खातेदार घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया गया है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही होने के कारण विवाद के बिन्दु निहित नही होने के कारण वादी का वाद–पत्र का वांछित अनुतोष ही तनकीयात मानी गई। वादी साक्ष्य मे पी.डब्ल्यू–1 दुर्गाराम,पी.डब्ल्यू 2–किशनाराम व पी.डब्ल्यू 3–मगाराम के बयानात कलमबद्व करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श–1 से 12 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए

9.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पाटियाल चोसिरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 15,18,19,20,32 व 33 कुल रकबा 122.16 बीघा भूमि अवस्थित थी,जो वक्त सेटलमेट मदरूपा व खरता पिसरान कना के नाम खातेदारी दर्ज हुई थी,जिसमे 1/2 हिस्सा मदरूपा व 1/2 हिस्सा खरता का था,इसी हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। मदरूपा के पांच पुत्रः–चैना,पूरा,लूम्बा,अचला व दुर्गा एवं दो पुत्रिया पूरोदेवी व गवरीदेवी थी। मदरूपा के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण पांत्र पुत्रो के नाम दायर किया गया। चैना के फौत पर उसकी वारिसान प्रतिवादी संख्या 04 का नाम दायर हुआ। पूरा के फौत होने पर उसकी पत्नि हीरो प्रतिवादी संख्या 01 का नाम दायर हुआ,जबकि हीरो की कोई जायंदा

सहायक कलक्टर
बालोतरा

संतान नही होने के कारण उसने दुसरी शादी सोनाराम के साथ कर गांव काश्मीर तहसील शिव चली गई थी। वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही होने के उपरांत भी वादग्रस्त भूमि मे उसकी खातेदारी प्रविष्टि दर्ज की गई,जो रेकर्ड मे आदिनांक यथावत चली आ रही है। लूम्बा व अचला की कोई जायंदा संतान नही होने के कारण ला–औलाद फौत हो गए थे। चैना व पूरा जो लूम्बा व अचला से पूर्व ही फौत हो गए थे। लूम्बा व अचला के प्रथम श्रेणी के वारिसान नही होने के कारण द्वितिय श्रेणी वारिसान मे वादी ही एकमात्र वारिस था,इस कारण लूम्बा व अचला की भूमि वादी को ही प्राप्त होनी चाहिए थी,लेकिन फौतदगी नामान्तकरण भरते समय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का संयुक्त खातेदारी दर्ज की गई,तत्समय सहखातेदारा के हिस्से नही खुले जाकर संयुक्त खातेदारी दर्ज की गई थी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मे वादी का 3/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का 1/10,1/10 हिस्सा बनता था तथा इसी हिस्सेनुसार मौके पर वादी काबिज होकर चला आ रहा है। लेकिन सेग्रीगेशन के दौराने रेकर्ड मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का बहिस्सा बराबर करते हुए रेकर्ड मे अशुद्व हिस्सा 1/6,1/6 अंकित किया गया,जबकि वादी का 3/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का 1/10,1/10 हिस्सा रेकर्ड मे दर्ज किया जाना चाहिए था,लेकिन रेकर्ड मे अशुद्व हिस्सा प्रविष्टिया इन्द्राज होने के कारण वादी को क्षति हो रही है। विदयमान रेकर्ड मे अशुद्व हिस्सा का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 4 वादग्रस्त भूमि को बेचान करने पर उतारू है तथा मौका स्थिति मे फेरबदल करने की कोशिश की जा रही है,यदि इसमे सफल हो गए तो वादी के मकसद ही समाप्त हो जावेगा। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादी पक्ष की ओर से अपनी साक्ष्य गवाहान एवं दस्तावेजी साक्ष्य से भी साबित किया है कि वादग्रस्त भूमि मे वादी का अशुद्व हिस्सा इन्द्राज हो रखा है,जो वादी अपने वादपत्र मे वांछित अनुतोष अनुसार वाद स्वीकार करवाने का हकदार है। अतं मे निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अशुद्व इन्द्राज हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का 1/6,1/6 के स्थान पर 1/10,1/10 हिस्सा एवं वादी का 1/6 के स्थान पर 3/10 हिस्सा खातेदारी घोषित की जावे।

11.हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस पर मनन् किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,प्रदर्शित दस्तावेजात् एंव बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमे पाया कि ग्राम पाटियाल चोसिरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 15,33,20 व खसरा संख्या 18,19,32 कुल रकबा 122.16 बीघा भूमि मदरूपा व खरता पिसरान कना कौम जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज थी,जो जमाबंदी संवत 2026–2029 प्रदर्श 10 अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्सा मदरूपा व 1/2 हिस्सा खरता का था। नामान्तकरण संख्या 25 अवलोकन

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि के तत्समय सहखातेदार पूरा,मंगला व अचला के फ़ौत होने पर आलोच्य नामान्तकरण पारित किया गया था। उक्त नामान्तकरण के आधार पर जमाबंदी संवत 2038–2041 मे पूरा के वारिसान मे हीरो बेवा पूरा,मंगला के वारिसान मे बाबुराम पुत्र मंगला,अणदू बेवा मंगला व अचला के वारिसान मे जमना बेवा चैना,लूम्बा,दुर्गा पिसरान मदरूपा हीरो बेवा पूरा के नाम रेकर्ड मे अमल दरामद हुआ,जो कि प्रदर्श 11 अवलोकन से स्पष्ट है। इस सन्दर्भ मे वादी अधिवक्ता का बहस मे मुख्य उजर रहा है कि मदरूपाराम के पांच पुत्रः–चैना (जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 4 जमना),पूरा (जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 01 हीरो),लूम्बा,अचला व दुर्गा (वादी) है। मदरूपा के पांच पुत्रो मे से लूम्बा व अचला के कोई जायंदा संतान नही होने के कारण ला–औलाद फोत हो गए थ। लूम्बा व अचला से पूर्व चैना व पूरा फोत हो गए थे,इस कारण लूम्बा व अचला के ला–ओलाद फोत होने के कारण प्रथम श्रेणी के वारिसान नही होने के कारण द्वितिय श्रेणी के वारिसान मे उसका भाई दुर्गा होने के कारण लूम्बा व अचला का हिस्सा दुर्गा को प्राप्त होने के कारण उसका वादग्रस्त भूमि मे 3/10 हिस्सा बनता था,लेकिन वादग्रस्त भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का बहिस्सा बराबर 1/6,1/6 हिस्सा अशुद्व दर्ज कर लिया गया,जबकि वादी 3/10 व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का 1/10,1/10 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिए था। इस सन्दर्भ मे न्यायालय हाजा द्वारा गौर किए जाने पर सामने आया कि मदरूपा के पांच वारिस चैना,पूरा,लूबां,अचला व दुर्गा थे,जो कि जमाबंदी संवत 2038–2041 के कॉलम संख्या 04 अवलोकन से स्पष्ट है,जिसका प्रदर्श 11 है। यह भी तय है कि मदरूपा के पुत्र चैना की वारिस जमना व पूरा की वारिस हीरो है,जो कि रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 4 द्वितिय श्रेणी की वारिसान मे नही आती है और लूम्बा व अचला के जायंदा संतान नही होने के कारण ला–औलाद फौत होने पर प्रथम श्रेणी के वारिस नही होने के कारण द्वितिय श्रेणी के वारिसान मे वादी होने के कारण लूम्बा व अचला का हिस्सा वादी को प्राप्त होगा। इस संबध मे हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8.<u>पुरूष की दशा मे उतराधिकार के साधारण नियम</u>.निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पति इस अध्याय के उपबन्धो के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगीः–

(क)प्रथमतःउन वारिसो को,जो अनुसूची के वर्ग 1 मे विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैः

(ख)द्वितीयतःयदि वर्ग 1 मे वारिस न वारिस न हो तो उस वारिसो को जो अनुसूची के वर्ग 2 मे विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है,

(ग)तृतीयतःयदि दोनो वर्गो मे से किसी मे का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजो कोः और

(घ)अन्ततः यदि कोई गौत्रज न हो तो मृतक के बन्धुओ को।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

इस प्रकार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस नही होने की दशा मे द्वितिय श्रेणी के वारिस को हक प्राप्त होगे,जो कि विषयक प्रकरण मे लूम्बा व अचला के ला–औलाद फौत होने के कारण प्रथम श्रेणी के वारिस नही होने के कारण द्वितिय श्रेणी के वारिस मे भाई वादी ही था,जो कि लूम्बा व अचला के हक हिस्सा भूमि प्राप्ति करने का अधिकार था,इसके उपरांत भी रेकर्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 व 4 हकदार नही होने के उपरांत भी खातेदार के हिस्से नही खुले जाकर भूमि संयुक्त रखी गई,तत्पश्चात सेग्रीगेशन कार्य के दौराने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का बहिस्सा बराबर 1/6,1/6 दर्ज किया गया,जो कि रेकर्ड मे गलत प्रविष्टि दर्ज की गई है,क्योकि लूम्बा व अचला के ला औलाद फौत होने के कारण द्वितिय श्रेणी के वारिसान मे प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का कोई हक हिस्सा नही होकर भाई वादी का ही बनता था,लेकिन तत्समय रेकर्ड मे प्रविष्टि सही इन्द्राज नही की गई,जो कि वादी विदयमान रेकर्ड मे दर्ज अशुद्व हिस्सा 1/6 के स्थान पर 3/10 हिस्सा खातेदारी घोषित करवाने का हकदार है। इसके साथ ही वादी की ओर से साक्ष्य गवाहान मे स्वंय वादी के अलावा स्वतंत्र गवाहान किशनाराम व मगाराम द्वारा अपने बयानात मे भी पुष्टि की है कि वादग्रस्त भूमि मे वादी का 3/10 हिस्सा पर कब्जा काश्त है तथा लूम्बा व अचला के ला–औलाद फोत होने के कारण उसका हिस्सा वादी ही प्राप्ति करने का हकदार है। इस प्रकार वादी द्वारा अपना वाद–पत्र दस्तावेजी साक्ष्य से भंली भांति साबित किया है,कि वादग्रस्त भूमि मे वादी वांछित अनुतोष अनुसार वाद डिक्री करवाने का हकदार है। प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्री सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी की रजिस्ट्री सम्मन तामीली होने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। इससे न्यायालय हाजा को ऐसा प्रतीत होता है कि वादी के वाद स्वीकार किए जाने की प्रतिवादी की मौन स्वीकृति है,क्योकि यदि आपति होती तो उजर–एतराज पेश करते,लेकिन ऐसा प्रतिवादी पक्ष द्वारा नही किया गया। ऐसी सूरत मे वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

<u>अनुतोष</u>:–उपयुर्क्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी वाद–पत्र को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 8,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे वादी वाद–पत्र को साबित करने में पूर्णतया सफल रहने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पाटियाल चोसिरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 15,18,19,20,32 व 33 कुल क्षेत्रफल 19.8782 हैक्टयर भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का अशुद्व हिस्सा 1/6,1/6 के स्थान पर 1/10,1/10 हिस्सा दर्ज किए जाने का आदेश

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

दिया जाता है तथा वादी का 1/6 के स्थान पर 3/10 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जाती है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तनदुसार राजस्व रेकर्ड मे नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

(अशोक कुमार) 29/09/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 29/9/2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलक्टर 29/09/2025
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 35/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/104

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
दुर्गाराम पुत्र गवरूपाराम जाति जाट निवासी भाम्भुओ की ढाणी,गंगानाड़ा,चोरिसा पाटियाल, रूपजी राजाबेरी कालेवा पचपदरा नगर बाड़मेर		1.श्रीमति हीरो पत्नि पुराराम वास्तविक वर्तमान पत्नि रोनाराम जाति जाट, निवासी काश्मीर तहसील शिव जिला बाड़मेर 2.गगाराम पुत्र खरताराम 3.खेताराम पुत्र खरताराम 4.जगना पत्नि चेना 5.बाबुराम पुत्र गंगला जाति जाट निवासी पाटियाल चोरिसा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबत:–88,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर 35/2023
निर्णय दिनांक :–29.9.2025

वादी की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा। इस वाद में आज तारीख 29.9.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–वादी वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे वादी वाद–पत्र को साबित करने में पूर्णतया सफल रहने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पाटियाल चोसिरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 15,18,19,20,32 व 33 कुल क्षेत्रफल 19.8782 हैक्टयर भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का अशुद्ध हिस्सा 1/6,1/6 के स्थान पर 1/10,1/10 हिस्सा दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है तथा वादी का 1/6 के स्थान पर 3/10 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जाती है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तनदुसार राजस्व रेकर्ड मे नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे।

यह आज तारीख 29.9.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
29/09/2025

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	–	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
29/09/2025